संख्याः 2591 / XV-1/09/ 1(10)/09

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 21 :अगस्त, 2009

विषयः राज्य पशुचिकित्सा परिषद् (50प्र०के०स०) योजनान्तर्गत बजट अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1229/नि०/वैट०काउ०/बजट/2009–10 दिनांक 27 जुलाई, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्यांश के रूप में लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि को समाहित करते हुए **रूपया 10.17 लाख (रूपया दस लाख सत्तरह हजार मात्र)** की धनराशि निम्न विकरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर प्रादिष्ट किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रू० में)

क्र०सं०	मद का नाम	जारी स्वीकृति
1.	01– वेतन	706
2.	03–महंगाई भत्ता	186
3.	04–यात्रा भत्ता	16
4.	05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	12
5.	06–अन्य भत्ता	97
	योग	**1017**

(रूपया दस लाख सत्तरह हजार मात्र)

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा से प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–आयोजनागत–00–101–पशुचिकित्सा संबंधी सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) नामक योजनान्तर्गत सुसंगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–199(P)/XXVII-4/2009 दिनांक 20 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

संख्याः 2591 (1)/XV-1/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. रजिस्ट्रार, वैटनरी काउन्सिल, देहरादून।
6. जिलाधिकारी देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
10. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव